भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1904

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में डिजिटलीकरण

1904. श्री बसवराज बोम्मईः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग, डिजिटल लेखांकन, आपूर्ति-श्रृंखला डिजिटलीकरण और गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) तथा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) में भागीदारी सहित डिजिटल व्यवस्था को अपनाए जाने संबंधी कोई आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या डिजिटल और प्लेटफ़ॉर्म-आधारित व्यावसायिक मॉडल अपनाने वाले एमएसएमई के बीच राजस्व वृद्धि, बाजार विस्तार, औपचारीकरण और निर्यात भागीदारी पर कोई स्पष्ट प्रभाव देखा गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में डिजिटल व्यवस्था को अपनाने की स्थिति का आवधिक रूप से आकलन करती है जिसमें उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से मूल्यांकन अध्ययन के माध्यम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल लेखांकन, आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटीकरण तथा गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जेम) और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) प्लेटफॉर्मों में भागीदारी जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है। नीति आयोग की आउटपुट-आउटकम निगरानी फ्रेमवर्क भी ऐसी स्कीमों के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था है। दिनांक 30 जून 2026 तक, एमएसएमई द्वारा ओएनडीसी नेटवर्क पर लगभग 2,41,000 लेन-देन किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, ओएनडीसी ने डिजिटल अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 14 भारतीय भाषाओं में विक्रेता पुस्तिका प्रकाशित की है तथा 3,000 घंटे से अधिक का वर्चुअल प्रशिक्षण और 200 घंटे से अधिक का तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित किया है, जिससे 50,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं।

*****